फर्द अहकाम

ताराचन्द बनाम [illegible]

नाम न्यायालय ADM-III

केस संख्या 13/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19.6.24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक [illegible] द्वारा एक प्र.पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में मुन्तकिल का पेश किया जो पत्रावली और जी.पी. अधि. पेश की जवाब प्रतिवादी पक्ष भिजवाया जावे। पत्रावली आगामी ता. पेशी दि. 10.7.24 को पेश हो। अधिवक्ता संघ हड़ताल कार्य स्थगित किया गया है। - अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
	10.7.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता एवं मा. राजस्व मण्डल राजस्थान में मुन्तकिल प्र.पत्र का जवाब भिजवाते हुए मूल पत्रावली भिजवाई जावे। दोनों पत्रावली संधारित की जावे। पत्रावली (दोनों) आगामी ता. पेशी दि. 14.8.24 को पेश हो। - अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
	24.9.24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में मुन्तकिल प्र.पत्र पेश होने पर भिजवाई गई थी जिसकी दोनों पक्षों चलाई जा रही थी। चूंकि मा. राजस्व मण्डल राज. अजमेर में मुन्तकिल प्र.पत्र विचाराधीन किया गया आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है अतः पत्रा. बन्द की जावे। आज अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है उक्त अपील में नामान्तरकरण की अपील थी

अतिरिक्त कलेक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

फद अहकाम

तारा चन्द बनाम कन्हैयालाल

न्यायालय [illegible]

संख्या [illegible]

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		गई है जिस आदेश के तहत [illegible] किया गया था उस आदेश को मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपास्त कर दिया गया है अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर अपील बिल्ल के आदेश किये जावे। हमने अपीलांट अधि. के पूरा पत्रावली का अवलोकन किया रोपेन्ट अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र बाबत अपील विलम्ब के हेतु स्वीकार किया जाकर एकतरफा समाप्त किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तरतीब हासिल दफ्तर हो।	तारा चन्द

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर